

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक: एम0के0 सिंह

सदस्य


प्रकरण क्रमांक निग0 1092-एक/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 18-2-15 पारित द्वारा
अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण क्रमांक 148/अ-6/2013-14.

1. डॉ0 प्रशांत मिश्रा पिता डॉ. पी.एल. मिश्रा
निवासी जी.एफ. 1 " आदि इन्क्लेव"
राईट टाउन, जबलपुर
2. अब्दुल रज्जाक खान पिता अब्दुल खान
निवासी कटंगी तहसील पाटन
जिला जबलपुर
3. दिनेश कुमार जैन पिता सुरेश जैन
साकिन भेन रोड, कटंगी तहसील पाटन,
जिला जबलपुर

----- आवेदकगण

विरुद्ध

1. शिवशंकर समिति मंदिर वाड़ा कटंगी
द्वारा - अध्यक्ष आनंद कुमार साहू एवं अन्य
2. देव कुमार गुप्ता पिता स्व. लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता
द्वारा मुख्यार आम रवि गुप्ता
पिता श्री राजाराम गुप्ता
निवासी 120, लार्डगंज, तह. व जिला जबलपुर
3. श्रीमती किरण गुप्ता पत्नि स्व. अजय गुप्ता
द्वारा मुख्यार आम रमेश कुमार दुबे
पिता स्व. प्रेमलाल दुबे,
निवासी 27 राईट टाउन जबलपुर



4. म० प्र० शासन
द्वारा तहसीलदार पाटन

— अनावेदकगण


श्री एम० एम० मुद्गल, अधिवक्ता, आवेदकगण.
श्री आनंद साहू, अनावेदक क्रमांक -1 स्वयं.
अनावेदक क्रमांक 2 एवं 3 एकपक्षीय.

—
:: आदेश ::

(आज दिनांक 6-4-2016 को पारित)

—
यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 148/अ-6/13-14 में पारित आदेश दिनांक 18-2-2015 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक क्रमांक 1 ने कलेक्टर, जबलपुर को दिनांक 15-6-10 को इस आशय की शिकायत पेश की गई कि ग्राम कटंगी प.ह.नं. 1 की भूमि खसरा नं. 159/1, 161/1, 160, 319 एवं 377 रकबा क्रमशः 0.543/1.62, 0.491/1.34, 0.202/0.50, 1.628/4.39 एवं 0.270/0.67 हैक्टर भूमि श्री शंकर जी मंदिर, कटंगी सरवराहकार किरण गुप्ता बेवा अजय कुमार, देव कुमार आ. लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता साकिन जबलपुर प्रबंधक कलेक्टर के नाम से दर्ज है । उक्त भूमि को सरवराहकार द्वारा बिना परमीशन के क्रय-विक्रय किया गया है वर्तमान में श्री अनीस चौरसिया द्वारा नियमों को ताक में रखकर निर्माण कार्य किया जा रहा है अतः उचित कार्यवाही की जाये । इस शिकायती आवेदन को कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, पाटन को निराकरण हेतु प्रेषित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त शिकायती आवेदन को अपील के रूप में ग्रहण कर कार्यवाही की तथा आदेश दिनांक 11-8-2010 से उक्त भूमि के सभी क्रय-विक्रय एवं नामांतरण निरस्त कर दिये तथा आदेश पारित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश पारित किया ।





अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदकगण ने माननीय उच्च न्यायालय में डब्लू. पी. क्रमांक 11837/10 प्रस्तुत की इस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-9-2010 द्वारा कलेक्टर, जबलपुर को प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए गये । कलेक्टर, जबलपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, पाटन का आदेश दिनांक 11-8-2010 निरस्त कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, पाटन की ओर पुनः पक्षकारों को सुनवाई उपरांत निराकरण हेतु भेजा ।

प्रकरण वापिस प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी, ने आदेश दिनांक 21-9-2011 द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 11-8-10 की पुष्टि की । इस आदेश को आवेदकों द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष चुनौती दी गई । अपर कलेक्टर ने उक्त अपील में दिनांक 31-12-12 को आदेश पारित करते हुए कतिपय बिंदु निर्धारित कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, पाटन को प्रत्यावर्तित कर दिया । अनुविभागीय अधिकारी, पाटन ने पुनः दिनांक 16-8-13 को आदेश पारित करते हुए पूर्व का आदेश दिनांक 11-8-2010 स्थिर रखा गया, इस आदेश के विरुद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की जिसे अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश दिनांक 18-2-15 द्वारा तृतीय अपील मानकर खारिज किया गया है । अपर आयुक्त के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण की ओर से लिखित बहस पेश की गई है ।


4/ अनावेदक क्रमांक को प्रकरण में सुनवाई दिनांक 25-2-16 को 15 दिवस का समय लिखित बहस पेश करने के लिए दिया गया था किंतु उनकी ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है ।

5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण में निर्धारण हेतु प्रमुख बिंदु यह है कि प्रश्नाधीन भूमि का स्वामित्व किसके पास था । अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि का स्वामित्व मंदिर श्री कटंगी के स्वामित्व को मानकर कार्यवाही की गई है । आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज खसरा नं. 1909/10 का अवलोकन करने पर प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 159 रकबा 1.62 एकड़, 160 रकबा 0.50 एकड़ एवं 161 रकबा 1.34 एकड़ पन्नालाल घूमन वल्द कसीराम बानिया के नाम मालिक मकबूजा स्वत्व पर दर्ज है ।




खसरा नं. 160 में मंदिर एवं 2 मकान बने होने की प्रविष्टि है । इसका तात्पर्य है कि खसरा नं. 160 रकबा 0.50 एकड़ ही मंदिर की संपत्ति है । खसरा नं. 159 रकबा 1.62 एकड़ एवं 161 रकबा 1.34 एकड़ पन्नालाल घूमन वल्द कसीराम बानियां के स्वामित्व की भूमि थी जो अनावेदक क्रमांक 2 एवं 3 के पूर्वज रहे हैं । आवेदकगण ने लोक सूचना अधिनियम के अंतर्गत एवं मुख्य प्रतिलिपिकार को आवेदन पेश कर यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है कि खसरा नं. 159 एवं 161 पर शंकर जी मंदिर का नाम कैसे व कब दर्ज हो गया इस हेतु उन्होंने आवेदन पेश कर वर्ष 1908-09 से 1954-55 एवं 1955-56 के राजस्व अभिलेख की प्रति मांगी परंतु अभिलेख उपलब्ध न होने संबंधी जानकारी उन्हें प्रदान नहीं की गई, इसका तात्पर्य यह है कि खसरा नं. 159 एवं 161 पर शंकर जी मंदिर के स्वामित्व की प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण है । प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 2 एवं 3 के पूर्वजों द्वारा एवं अनावेदक क्रमांक 2 व 3 द्वारा स्वयं भी उक्त प्ररनाधीन भूमि विक्रय की जाती रही है, यह तथ्य भी इस बात की पुष्टि करता है कि प्ररनाधीन भूमि श्री शंकर जी मंदिर की न होकर व्यक्तिगत स्वामित्व की रही है । अतः उसके विक्रय के संबंध में की गई कार्यवाही, नामांतरण एवं तबादला नामा किसी प्रकार विधि विपरीत नहीं हैं । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों को पूर्णतया अनदेखा किया गया है । प्रकरण के तथ्यों के आधार पर मंदिर व्यक्तिगत मंदिर है और व्यक्तिगत मंदिर पर प्रबंधक कलेक्टर नहीं हो सकते हैं इस आशय का सिद्धांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1985 आर0एन0 317 एवं 1995 आर0एन0 387 में प्रतिपादित किया गया है । अतः उक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में उक्त मंदिर एवं उससे लगी प्ररनाधीन भूमि पर कलेक्टर की प्रबंधक के रूप में दर्ज प्रविष्टि विधिसम्मत न होने से विलुप्त की जाती है ।


6/ अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपर कलेक्टर, जबलपुर ने अपने प्रकरण क्रमांक 13/अ-6/अपील/11-12 में पारित आदेश दिनांक 31-12-12 से कतिपय बिंदु निर्धारित कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, पाटन को प्रत्यावर्तित किया है । प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने के अधिकार, संहिता में किए गए संशोधन से दिनांक 01-01-2012 से समाप्त हो गये हैं । अतः अपर कलेक्टर, जबलपुर का आदेश




विधि विपरीत होने से शून्य प्रभावी है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके समक्ष अनुविभागीय अधिकारी, पाटन के प्रकरण क्रमांक 80/अ-6/09-10 में पारित आदेश दिनांक 16-8-2013 के विरुद्ध अपील पेश हुई है जिसे उन्होंने तृतीय अपील मानकर खारिज किया है, जो विधि सम्मत नहीं है क्योंकि उक्त अपील तृतीय अपील नहीं है । अतः उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-2-15 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-8-10 एवं 16-8-13 विधिसम्मत न होने से निरस्त किए जाते हैं । तहसीलदार, कटंगी को निर्देश दिए जाते हैं कि राजस्व अभिलेख अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11-8-10 के पूर्व की स्थिति में लाए जाकर दुरुस्त किये जायें ।

R
ग



(एम0 के0 सिंह)

सदस्य,

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,

ग्वालियर